



समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

6125/98

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44)

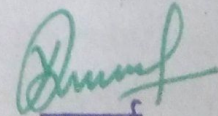
9-7-90

के अधीन को पंजीयित की गई है।

(शरद संग्रह सिवारी)
समितियों के समिदाय

शपथ पत्र (AFFIDAVIT)

1. यह है कि मंत्री परिषद आदेश आयटम क्रमांक 15, दिनांक : 27 नवंबर 2019 के अनुमोदन अनुसार मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित "मध्य प्रदेश ट्राईबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सोसायटी" भोपाल, (पंजीयन क्रमांक 6125 / 98, दिनांक 09 / 07 / 1998) का नाम संशोधित कर "मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (MPSARAS) भोपाल" किया गया है।
2. यह है कि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 123 विभागीय विशिष्ट संस्थाओं का संचालन "मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (MPSARAS) भोपाल" के अधीन किया गया है।
3. यह है कि इस समिति का गठन मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त स्कूली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।
4. यह है कि सोसाइटी मुख्यतः विद्यार्थियों के शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत कार्य करते हुए उन्हें नवीनतम शिक्षा प्रणाली के अनुसार नए प्रयोगों के साथ स्कूली शिक्षा प्रदान करते हुए राज्य एवं देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश दिलाने तथा जीवन स्तर के उत्थरण हेतु कार्य करेगी।
5. यह है कि यह विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोसाइटी का गठन किसी प्रकार के आर्थिक लाभ की दृष्टि से नहीं किया गया है।
6. यह है कि यह शपथ पत्र संस्था स्तर से "केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड" को प्रस्तुत किया जा रहा है।



प्राचार्य

शा.कन्या शिक्षा परिसर बिरसा
जिला-बालाघाट (म.प्र.)